झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची
(सहकारिता प्रभाग)
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या :– 07/PMFBY(2019–20) – 27/2019 सह0 1053 दिनांक 17.06.19

भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्रांक 13015/03/2016–Credit-II दिनांक 25.04.2018 द्वारा दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना के संशोधित मार्गदर्शिका में वर्णित दिशा निर्देशों तथा राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में मौसम खरीफ–2019 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई (**Aghani Paddy & Bhadai Maize**) फसल एवं रबी– 2019–20 के लिए गेहूँ, आलू, राई–सरसो एवं चना (**Wheat, Rapeseed Mustard,Gram & Potato**) फसलों को अधिसूचित किया जाता है।

1. अधिसूचित क्षेत्रों का चयनः–

झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्षेत्रीय आधार पर लागू किया जाता है।

(क) फसल का चयन :–

निम्न फसलों को योजना के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है।

I खरीफ

क्र0	फसल	बीमा इकाई	क्षतिपूर्ति स्तर
1.	अगहनी धान (मुख्य फसल)	ग्राम पंचायत	80%
2.	भदई मकई (गौण फसल)	प्रखण्ड	80%

II रबी

क्र0	फसल	बीमा इकाई	क्षतिपूर्ति स्तर
3.	गेहूँ (मुख्य फसल)	ग्राम पंचायत	80%
4.	आलू, राई–सरसों एवं चना (गौण फसल)	प्रखण्ड	80%

(ख) बीमित राशि की सीमा :–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका के पारा – 12 :- " ऋण लेने और ऋण न लेने वाले किसानों दोनो के लिए बीमाकृत राशि जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्त–मान के समकक्ष होगी तथा इसे SLCCCI द्वारा घोषित करते हुए अधिसूचित किया गया। इस संबंध में वित्त–मान का कोई अन्य संगणन लागू नहीं होगा। वैयक्तिक किसान के लिए बीमाकृत राशि; प्रति हेक्टेयर वित्त–मान एवं बीमा के लिए किसान द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित फसल क्षेत्र के गुणनफल के समकक्ष है। बीमित क्षेत्र की अभिव्यक्ति हमेशा हैक्टेयर में की जाएगी।"

उक्त के आलोक में बीमित राशि की सीमा ऋणी एवं गैर ऋणी किसान के लिए अधिसूचित फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर जिलावार स्वीकृत Scale of Finance (अनुलग्नक – I) के बराबर होगी।

2. **चयनित फसल का प्रीमियम दर** :–

(क) योजनानुसार, भारत सरकार द्वारा चयनित बीमा कम्पनियों से आमंत्रित मुहरबंद सीमित वित्तीय निविदा के आधार पर प्रीमियम दर का निर्धारण किया गया है तथा संबंधित चार क्लस्टर (राज्य के सभी 24 जिले)

Cluster – 1 चतरा, दुमका, गिरिडीह, सरायकेला–खरसांवा, जामताड़ा, गुमला।

Cluster – II पूर्वी सिंहभूम, देवघर, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, साहेबगंज।

Cluster – III खूँटी, राँची, पलामू, हजारीबाग, गोड्डा, पाकुड़।

Cluster – IV पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, कोडरमा।

Cluster – I, Cluster – II, Cluster – IV के लिए प्राप्त L_1 बीमा कम्पनी, M/s Royal Sundaram GIC Ltd., तथा Cluster – III के लिए प्राप्त L_1 बीमा कम्पनी, M/s HDFC Ergo GIC Ltd., को मौसम खरीफ 2019 एवं रबी 2019–20 के लिए बीमा करने हेतु कार्यकारी अभिकरण (Implementing Agency) के रूप में अधिकृत किया जाता है।

(ख) **प्रीमियम गणना** :–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका के पारा – 13(1) :- '' बीमांकित प्रीमियम दर (एपीआर) (अनुलग्नक – II) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा PMFBY के तहत वसूला जाएगा। किसान द्वारा देय बीमा प्रभार की दर निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :–

क्र0सं0	मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमाकृत राशि का प्रतिशत)
1.	खरीफ	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो
2.	रबी	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो
3.	खरीफ और रबी	वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो

उक्त के आलोक में ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों द्वारा अगहनी धान एवं भदई मकई हेतु 2 प्रतिशत, गेहूँ, राई–सरसों, एवं चना फसलों हेतु 1.5 (डेढ़) प्रतिशत प्रीमियम दर एवं आलू फसल के लिए 5 (पॉच) प्रतिशत प्रीमियम दर बीमित राशि पर देय होगी।

1053
17.06.19

(ग) **प्रीमियम एवं अनुदान** :–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित मार्गदर्शिका के पारा – 13(2):- " (क) किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर और बीमांकिक प्रीमियम की दर के अन्तर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर माना जाएगा जिसकी भागीदारी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर रूप में वहन की जाएगी। प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी केवल बीमाकृत राशि की हद तक हीं दी जाएगी। (ख) निजी पैनल बंद बीमा कम्पनियों को सरकारी प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी सरकारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुसार Agriculture Insurance Company of India Ltd. के माध्यम से दी जाएगी। (ग) सरकार (केन्द्र और राज्य सरकार दोनों) सामान्य वित्तीय नियम/इस मामले में दिये गये दिशानिर्देश को पूरा करने की शर्त पर प्रत्येक बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बीमा आच्छादन के प्रोजेक्शन के आधार पर फसल अवधि के शुरू में पैनल बंद बीमा कंम्पनियों को कुल अनुमान्य प्रीमियम सब्सिडी की 50 प्रतिशत धनराशि जारी कर सकती है। "

उक्त के आलोक में अतिरिक्त वास्तविक प्रीमियम के पूर्ण भुगतान हेतु, प्रीमियम अनुदान स्वरूप राशि सरकार वहन करेगी, जिसमें 50 : 50 प्रतिशत का अनुपात क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकार का होगा एवं कुल अनुमानित प्रीमियम अनुदान की 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान सरकार के द्वारा की जा सकेगी।

3. ऋण की मान्य अवधि :–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित मार्गदर्शिका के पारा 16 के आलोक में कवरेज अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

खरीफ–2019

(क) ऋणी किसान हेतु :– ऋण स्वीकृति/नवीकृत लाभ की अवधि 01.04.2019 से 31.07.2019 तक।

(ख) गैर ऋणी किसान :– शामिल होने हेतु अवधि 01.04.2019 से 31.07.2019 तक।

रबी – 2019–20

(क) ऋणी किसान हेतु :– ऋण स्वीकृति/नवीकृत लाभ की अवधि 01.10.2019 से 31.12.2019 तक।

(ख) गैर ऋणी किसान :– शामिल होने हेतु अवधि 01.10.2019 से 31.12.2019 तक।

4. बैंक का चयन :– राज्य के सभी व्यावसायिक बैंक, **झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0,** जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य कमर्शियल बैंक के कृषि ऋण आवंटन शाखा को पदनामित किया जाता है।

1053
17.06.19

5. **प्रीमियम प्रेषण तिथि का निर्धारणः–**

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका के पारा – 16 :- "ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिए अन्तिम तारीख एक समान होगी। प्रमुख आवधिकता अनुशासन संबंधी विवरण नीचे चार्ट में परिलक्षित है :–

क्र0सं0	क्रियाकलाप	खरीफ/रबी
1.	किसानों (ऋण प्राप्त और गैर ऋण प्राप्त) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/बैंक खाते से प्रीमियम कटौती की अन्तिम तारीख	31 जुलाई/31 दिसम्बर, 2019
2.	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी), स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त गैर ऋणी किसानों और अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों के बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तारीख	अंतिम तारीख के बाद ऋणी किसानों के लिए 15 दिन के अंदर और गैर ऋणी किसानों के लिए 7 दिन के अंदर
3.	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
4.	संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)/नोडल बैकों (सहकारिताओं के लिए) की ओर से स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त और अऋणी किसानों और अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
5.	वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति (पैक्स)/माध्यस्थों द्वारा बैयक्तिक बीमाकृत किसानों के ब्योरों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना	किसानों से प्राप्त प्रीमियम की अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर
6.	फसल कटाई के बाद उपज संबंधी आंकड़ों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	अंतिम से एक माह के भीतर
7.	उपज डाटा पर आधारित अंतिम दावों का अनुमोदन और भुगतान	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर

उक्त के आलोक में प्रीमियम एवं घोषणा पत्र जमा करने का समय सभी कृषकों के लिए निम्न प्रकार होगी :–

1053
17.06.19